

## विश्वभारती

### कार्यालय आदेश

विषय : सामान्य कार्य का स्थगन विस्तार एवं 15.05.2021 तक अधिसूचित अन्य कार्यवाही।

पश्चिम बंगाल सरकार मुख्य सचिव के दिनांक 29.05.2021 के कार्यालय आदेश सं. 707 – आईएसएस/2एम-22/2020 के क्रम में, महाविपदा प्रबंध अधिनियम 2005 प्रावधान के तहत डब्ल्यूबी महामारी रोग, कोविड-19, विनियम 2020, का अवलोकन करते हुए, उक्त कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या आरईसी/ओओ/89/40 दिनांक 15.05.2021 की वैधता, दिनांक 15.06.2021 अपराह्न 06:00 बजे तक कार्यक्रम स्थगन का विस्तार किया गया है।

नियंत्रण अधिकारी, उनके नियंत्रण के अधिन मुख्य रूप से प्रयोगशाला, संग्रहालय, कोण कक्ष, पुरालेख, अभिलेख कक्ष, पांडुलिपि संग्रहालय, संरक्षण इकाई इत्यादि के तहत कार्य करनेवाले कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि किट/दीमक नियंत्रण, रसायन इत्यादि का पुनः पूर्ति हेतु आवश्यक कदम (विशेष रूप से सरकार अधिसूचित स्वास्थ्य उपायों का पालन करे) उठाय जिससे पुस्तकें, फाइल/दस्तावेज/पांडुलिपि/उपस्कर/उपकरण को क्षति न हो।

सं. आरईजी/का.आ./89/57

दिनांक : 30.05.2021

हस्ता. /—  
कुलसचिव (कार्यकारी)  
विश्वभारती

प्रतिलिपि :

1. निदेशक/प्रिंसिपल/अध्यक्ष/भवन/विभाग/केंद्र/इकाई इत्यादि के प्रभारी
2. प्रशासनिक कार्यालय/अनुभाग इत्यादि के अध्यक्ष/अधिकारी प्रभारी
3. कुलपति के उप कुलसचिव एवं गोपनीय सचिव
4. कंप्यूटर केंद्र – कृपया अपलोड करें।